संख्याः– 1070 / xxxii / 2007

प्रेषक,

डी0के0कोटिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।
(4) मण्डलायुक्त,
कुमायूँ / गढ़वाल।
(5) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 04 जुलाई 2007

विषयः– कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के समय से निस्तारण हेतु समय सारिणी।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न सेवा संवर्गों में कार्मिकों की नियुक्ति,पदोन्नति, स्थाईकरण,ज्येष्ठता निर्धारण, वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन, अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का निस्तारण तथा अन्य सेवा संबधी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय सारिणी निर्धारित की गई है। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण समय से नहीं हो पाता है। किसी किसी मामले में सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण में बहुत अधिक विलम्ब हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप जहां एक ओर कतिपय कार्मिक न्यायालयों की शरण में जाते हैं वहीं दूसरी ओर कार्मिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है जिसका सीधा प्रभाव शासकीय कार्य पर पड़ता है। प्रबन्धकीय कौशल तथा शासकीय कार्य में गति लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण समय से सुनिश्चित हो सके।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के समय से निस्तारण हेतु समीक्षा किये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार एक समय सारिणी निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1). सीधी भर्ती द्वारा चयन–

1–लोक सेवा आगोग की परिधि के पद

सीधी भर्ती के रिक्त पदों को प्रत्येक वर्ष 31 मई तक आंगणित किया जायेगा और समस्त कार्यवाही पूर्ण करके 30 जून तक अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा।

2– लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पद

चयन वर्ष की रिक्तियों को आंगणित करके प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे और 30 दिसम्बर तक चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(2) नियुक्ति– लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष 1से 15 जून तक की जायेगी।

(3) पदोन्नति– प्रत्येक वर्ष 15 से 30 मई तक रिक्तियां आगणित की जायेंगी और लोक सेवा आयोग की परिधि के पदो के लिए 30 जून तक आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जायेगा। लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए 30 जून तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जायेंगी।

(4) स्थाईकरण– प्रत्येक वर्ष 15 से 30 अप्रेल को स्थाईकरण के मामलों की समीक्षा की जायेगी। माह मई में स्थायीकरण के लिएउपयुक्त मामलों में स्थाईकरण आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

(5)पदों का स्थाईकरण– प्रत्येक वर्ष **1 से 15 फरवरी** तक अस्थायी पदों के स्थाईकरण हेतु समीक्षा की जायेगी और जो पद स्थाईकरण हेतु उपयुक्त पाये जायेंगे उन्हें स्थाई किया जायेगा।

(6) ज्येष्ठता– अनन्तिम ज्येष्ठता सूची **30 जून** तक निर्गत की जायेगी। अन्तिम ज्येष्ठता सूची **1 सितम्बर** तक निर्गत की जायेगी।

(7) वार्षिक प्रविष्ठियां– प्रत्येक वर्ष **15 से 30 अक्टूबर** को वार्षिक प्रविष्ठियों की समीक्षा की जायेगी।

(8) अनुशासनिक कार्यवाही– प्रत्येक वर्ष 15से 30 जून को अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

(9) सेवानिवृत्तिक लाभ– पेंशन, ग्रेज्यूटी तथा अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष **15 से 31 मई** को की जायेगी।

(10) कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा– **15 से 20 जनवरी** तथा **15 से 20 जुलाई** को कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा की जायेगी।

(11)कर्मचारियों की स्क्रीनिंग– प्रत्येक वर्ष **15 से 30 जनवरी** को समीक्षा की जायेगी।

(12)प्रतिकूल प्रविष्टियों की समीक्षा– प्रत्येक वर्ष 15 से 20 जुलाई को प्रतिकूल प्रविष्ठियो के ससूचित होने तथा प्रत्यावेदनों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों की समीक्षा उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार निर्धारित तिथि को करते हुए उनका निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0के0कोटिया)
सचिव

संख्याः–1070/ /xxxii/ 2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, श्री राज्यपाल।
(2) सचिव, विधान सभा।
(3) अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग,हरिद्वार।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव